(c) if so, whether Government have issued any fresh instructions to its Ministers to remain in Delhi and attend the work relating to their concerned Ministry/Department; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR MR. JANARTHA-NAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Prime Minister has rescently empahsised that the absence of Ministers and various Government functionaries for long period should be avoided, as it creates dislocation and delay in disposal of Government business. The Prime Minister has advised that as for as possible the delegations to foreign countries should not be very large.

सांसदों के "पत्रों का उत्तर दिया जाना

383. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि संसद-सदस्यों के पत्रों का समय पर उत्तर नहीं दिया जाता या उत्तर दिया ही नहीं जाता;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि सरकारी विभाग संसद-सदस्यों के प्राप्त हुए पत्रों का अंतरिम तथा अंतिम उत्तर देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का भी पालन नहीं करते;

(ग) क्या संसद-सदस्यों ने इस संबंध में सरकार से कोई शिकायत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त अधिकांश पत्रों का उत्तर मार्ग-दर्शी सिद्वांतों में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर भेजा जाता हैं। कुछ मामलों में, जहां पत्र से संबंधित कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालयों से सूचना एकत्र की जानी होती हैं, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने में विलय हो सकता हैं। तथापि, ऐसे मामलों में सामान्यत: एक पखवाड़े के भीतर अंतरिम उत्तर भेज दिया जाता हैं।

(ग) और (घ) जी हां, इस संबंध संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने से संबंधित अनुदेश समय-समय पर दोहराये गए है। कार्मिक, लोक शिकायल तथा पेंशन राज्य मंत्री ने भी भारत सरकार के मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावतियां विधिवत् रूप से भेज दी जाएं। और इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल सचिव ने भी इस संबंध में दिनांक 23.5.98 को और फिर 9.9.98 को भारत सरकार के सभी सचिवों को निदेश जारी किये हैं।

मंत्रियों के निजी स्टाफ के विरूद्व भ्रष्टाचार के आरोप

384. **श्री चीमनभाई हरीभाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों के निजी स्टाफ के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे है और उन्हे अपने-अपने मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्व किस प्रकार के आरोप हैं तथा उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इस मंत्रियों ने ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देकर तथा उन्हे बचा कर सरकार की छवि को खराब कर दिया हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करने की क्या मजबूरी हैं?